

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक2018

संख्या 15/एम 1-52/2013 अंश/ विभागीय अधिसूचना संख्या 687
दिनांक 28.03.2014 द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के राज्य में क्रियान्वयन हेतु राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् का गठन किया गया है। कार्यकारी व्यवस्था के तहत श्री सतीश चन्द्र झा, विशेष सचिव, शिक्षा विभाग को राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् के सदस्य सचिव-सह-राज्य परियोजना निदेशक के रूप में अगले आदेश तक कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(विनोद कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 15/एम 1-52/2013 अंश - 1827

पटना, दिनांक 6/10/2018

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार/महालेखाकार, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार/ प्रधान सचिव, योजना विभाग, बिहार/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार/प्रधान सचिव, शिक्षा के आप्त सचिव/श्री सतीश चन्द्र झा, विशेष सचिव, शिक्षा विभाग/निदेशक, उच्च शिक्षा/कुलसचिव, राज्य के सभी विश्वविद्यालय/समिति के उपाध्यक्ष/संबंधित सभी सदस्य/प्रशाखा पदाधिकारी 14 एवं 15 शिक्षा विभाग एवं आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि अधिसूचना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने की कार्रवाई की जाए।

(विनोद कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव